[2009] 10 एस. सी. आर. 415

के. एन. फार्म उद्योग (पी.वी.टी.) लिमिटेड

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(2009 की दीवानी अपील सं. 4154)

7 जुलाई, 2009

[आर. वी. रवींद्रन और जे. एम. पांचाल, न्यायमूर्तिगण]

बिहार भूमि सुधार (हदबंदी निर्धारण और अधिशेष भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1961 - धारा 2 (एफ)- भूमि - तालाबों की परिभाषा यदि धारा 2 (एफ) के तहत भूमि की परिभाषा में आती है - अभिनिर्धारितः कृषि/बागवानी प्रयोजनों के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए बने तालाब, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 'भूमि' है- 'भूमि' की परिभाषा में प्रयुक्त स्पष्ट और विशिष्ट शब्दों के मद्देनजर, पानी से हमेशा ढकी रहने वाली भूमि, जिसमें तालाब शामिल हैं, को भूमि की परिभाषा से बाहर नहीं किया जा सकता है- बिहार/झारखंड राज्य में, पानी से भरे नदी तल या खड्डों को छोड़कर, हमेशा पानी में डूबी रहने वाली भूमि, भूमि है।

इस अपील में विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या तालाब, झारखंड राज्य में लागू बिहार भूमि सुधार (हदबंदी निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1961 की धारा 2(एफ) के अंतर्गत 'भूमि' की परिभाषा के अंतर्गत आएगा।

अपील खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. बिहार भूमि सुधार (हदबंदी निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1961 में 'भूमि' की परिभाषा में प्रयुक्त स्पष्ट एवं विशिष्ट शब्दों को ध्यान में रखते हुए, बारहमासी जल से आच्छादित भूमि, जिसमें तालाब भी शामिल हैं, को भूमि की परिभाषा से बाहर करना संभव नहीं है। अतः, कृषि/बागवानी उद्देश्यों के लिए जल उपलब्ध कराने हेतु बनाए गए तालाब अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 'भूमि' हैं। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेशों में कोई त्रुटि नहीं है, जैसा कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पुष्टि की है। [कंडिका 14] [428-बी-सी]

2.1. जब किसी अधिनियम में किसी विशेष शब्द को उसके साधारण और सामान्य अर्थ के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, और फिर कुछ अतिरिक्त 'अर्थ' शामिल किए जाते हैं, जो सामान्य रूप से अनुसरण नहीं करते, लेकिन विशिष्ट समावेशन के लिए, यह तर्क देना संभव नहीं है कि विस्तारित अर्थ सामान्य या सामान्य अर्थ के विपरीत है और इसलिए इसे अनदेखा किया जाना चाहिए। [कंडिका 6] [423- सी-डी]

न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत ***11वां (2008) संस्करण पृ. 174-181, संदर्भित।***

2.2. अधिनियम का एक उद्देश्य बड़े भू-स्वामियों से अधिशेष भूमि लेना और ऐसी अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में वितरित करना है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि केवल वही भूमि 'भूमि' मानी जा सकती है जो कृषि/बागवानी उद्देश्यों के लिए भूमिहीनों में वितरित की जा सकती है, अन्य भूमि नहीं। न्यायालयों को किसी भी अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते समय इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए एक वस्तु-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि जब तक व्याख्या की संभावना हो, विधायी निरर्थकता से बचा जाना चाहिए। लेकिन साथ ही, न्यायालयों को यह भी ध्यान रखना होगा कि वस्तु-उन्मुख दृष्टिकोण को, किसी क़ानून में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर क़ानून के शब्दों को पुनः लिखकर, या क़ानून में प्रयुक्त निश्चित शब्दों की अनदेखी करके, क़ानून में प्रयुक्त स्पष्ट भाषा के साथ हिंसा करने की सीमा तक नहीं ले जाया जा सकता। प्रयुक्त स्पष्ट और विशिष्ट शब्दों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। [कंडिका 9 और 10] [425- सी- एफ]

आयकर आयुक्त बनाम बुधराजा एंड कंपनी 1994 सुप्प (1) एससीसी 208, संदर्भित।

न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह द्वारा लिखित वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, 11वां संस्करण, पृष्ठ 116-117 – संदर्भित।

2.3 "भूमि" की परिभाषा में भू-धारक की वासभूमि शामिल है। धारा 2(एफ) के स्पष्टीकरण (I) में "वासभूमि" को आवासीय भवन से संलग्न किसी भी तालाब के रूप में परिभाषित किया गया है। यदि आवासीय भवन से संलग्न कोई तालाब भूमि है, तो इसका अर्थ यह है कि कृषि/बागवानी भूमि से संलग्न कोई भी तालाब, जिसका उपयोग ऐसी कृषि/बागवानी भूमि की सिंचाई या पानी देने के लिए किया जाता है, भी भूमि होगी। जब धारा 2(एफ) में 'भूमि' की परिभाषा के स्पष्टीकरण-I में तालाब को विशेष रूप से भूमि कहा

गया है, तो इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि कोई भी तालाब भूमि नहीं हो सकता। [कंडिका 12] [427-ए-सी]

2.4. 'भूमि' की परिभाषा के स्पष्टीकरण (II) में कहा गया है कि "जल में सदैव डूबी रहने वाली भूमि" में "नदी के तल में डूबी हुई भूमि" शामिल नहीं होगी। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि बिहार/झारखंड राज्य में नदी तल को छोड़कर, जल में सदैव डूबी रहने वाली सभी भूमि, भूमि है। स्पष्ट विधायी आशय यह है कि न केवल कृषि या बागवानी के लिए वास्तव में उपयोग की जाने वाली भूमि, बल्कि कोई भी या प्रत्येक भूमि जो कृषि या बागवानी के लिए प्रासंगिक या अनुलग्नक के रूप में उपयोग की जाती है, वह भी भूमि है। यह 'वासभूमि' की परिभाषा से स्पष्ट है। कोई भी आवास गृह जो कृषि या बागवानी भूमि में स्थित है, जो व्यक्तियों के निवास के लिए है, वासभूमि है और भूमि की परिभाषा में शामिल है। इसके अलावा, कृषि या बागवानी से जुड़े उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोई भी बाहरी भवन भी वासभूमि का हिस्सा है और इसलिए, भूमि भी। निजी जोतों में स्थित कोई भी कृत्रिम या प्राकृतिक जल निकाय, जो कृषि या बागवानी उद्देश्यों के लिए सिंचाई या जल आपूर्ति करता है, भी भूमि है। जलमग्न भूमि के संदर्भ में 'सम भूमि' शब्द का प्रयोग दर्शाता है कि जल से भरे नदी तल या खड्डों को इससे बाहर रखा गया है। 'भूमि' की परिभाषा में 'सदा जलमग्न सम भूमि' शब्दों का प्रयोग इस प्रकार यह संकेत देगा कि एक तालाब भी भूमि है। जलमग्न भूमि के संदर्भ में 'सम भूमि' शब्द दर्शाता है कि नदी तल या जल से भरी खाड़ियाँ इससे बाहर हैं। 'भूमि' की परिभाषा में 'सदा जलमग्न सम भूमि' शब्दों का प्रयोग इस प्रकार यह दर्शाता है कि तालाब भी भूमि है। भूमि की परिभाषा से नदी तल या तालाब को बाहर रखा गया है जो एक बाँधयुक्त खड्ड है। अधिनियम की धारा 4(एफ), जो वर्ग VI की भूमि के संबंध में अधिकतम सीमा निर्धारित करती है, यह भी दोहराती है कि जलमग्न भूमि भी भूमि है। [कंडिका 13] [427-डी-एच; 428-ए]

प्राधिकृत अधिकारी, तंजावुर बनाम एस. नागनाथ अय्यर 1979 (3) एससीसी 466; *एस.के. अर्सद अली बनाम एस.के. फजले हकानी* 1996 (11) एससीसी 585, संदर्भित।

पी. रामनाथ अय्यर की एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन, तीसरा संस्करण, वॉल्यूम 4, पृष्ठ 4608-- संदर्भित।

नजीर संदर्भ:

1979 (3) एससीसी 466	संदर्भित	कंडिका 5
1996 (11) एससीसी 585	संदर्भित	कंडिका 5

1994 सुप्प (1) एससीसी 208 संदर्भित कंडिका 9

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील संख्या 4154/2009

एल.पी.ए. संख्या 21/1993 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 19.2.2004 के निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ताओं की ओर से एस.बी. सान्याल और रंजन मुखर्जी।

उत्तरदाताओं की ओर से गोपाल सिंह और अनुज प्रकाश।

न्यायालय का निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.वी. रवींद्रन द्वारा सुनाया गया। अनुमति दी गई। पक्षों की सुनवाई हुई।

1. विशेष अनुमति द्वारा की गई इस अपील में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या तालाब, झारखंड राज्य में लागू बिहार भूमि सुधार (हदबंदी निर्धारण और अधिशेष भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 2(एफ) के अंतर्गत "भूमि" की परिभाषा के अंतर्गत आएगा, जिसका उद्धरण नीचे दिया गया है:

> "भूमि" से तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो कृषि या बागवानी के लिए उपयोग की जाती है या उपयोग की जा सकती है और इसमें वह भूमि भी शामिल है जो बाग, खरहर या चारागाह या वन भूमि या यहां तक कि पानी के नीचे बारहमासी जलमग्न भूमि या किसी भू-धारक की गृहस्थी है;
>
> स्पष्टीकरण 1.- "वासभूमि" से तात्पर्य, रहने के प्रयोजन के लिए या किराये पर देने के प्रयोजन के लिए किसी आंगन, परिसर, संलग्न उद्यान, फलोद्यान और बाहरी भवन सहित आवास गृह से है और इसमें कृषि या बागवानी से संबंधित प्रयोजन के लिए कोई बाहरी भवन और ऐसे आवास गृह से संबंधित कोई तालाब, पुस्तकालय और पूजा स्थल शामिल हैं।

स्पष्टीकरण ॥.- जल के नीचे बारहमासी जलमग्न भूमि में नदी के तल में डूबी हुई भूमि शामिल नहीं होगी।"

2. अपीलकर्ता एक भूमि धारक है। उसके पास मौजूद अतिरिक्त भूमि के निर्धारण के लिए वर्ष 1973 में कार्यवाही शुरू की गई थी। अपीलकर्ता ने अपने कब्जे में 379.12 एकड़ भूमि दिखाते हुए एक रिटर्न दाखिल किया। अंचल अधिकारी ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, जमशेदपुर को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत की, जिसमें अपीलकर्ता के कब्जे में 443.09 एकड़ भूमि दिखाई गई। अपीलकर्ता ने यह कहते हुए आपत्तियां दायर कीं कि कुछ तालाब, जो कुल 43.29 एकड़ क्षेत्रफल में भूमि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते, उन्हें गलत तरीके से मसौदा प्रकाशन में शामिल किया गया है। दिनांक 9.10.1982 के आदेश द्वारा, अतिरिक्त समाहर्ता ने माना कि 43.29 एकड़ क्षेत्रफल को सम्मिलित करने वाले तालाब "भूमि" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और इसलिए, अधिशेष क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। "तालाब" क्षेत्र को शामिल करने की चुनौती को अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 22.3.1983 को खारिज कर दिया और राजस्व बोर्ड ने दिनांक 22.11.1983 को इसे बरकरार रखा।

3. व्यथित महसूस करते हुए, अपीलकर्ता ने एक विनिर्दिष्ट आदेश याचिका (डब्ल्यू.पी. सं.995/1984) दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि "यहां तक कि पानी के नीचे बारहमासी जलमग्न भूमि" भी अधिकतम सीमा क्षेत्र के प्रयोजन के लिए 'भूमि' थी, एक टैंक को भूमि नहीं माना जा सकता। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि केवल कृषि योग्य भूमि, यानी कृषि या बागवानी के लिए उपयोग की जा सकने वाली भूमि को ही अधिशेष भूमि के निर्धारण हेतु भूमि माना जा सकता है, और एक तालाब जो जल से आच्छादित भूमि है और कृषि या बागवानी के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, उसे अधिनियम के प्रयोजनार्थ भूमि नहीं माना जा सकता। पटना उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त तर्क को अस्वीकार कर दिया और दिनांक 2.3.1993 के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश याचिका खारिज

कर दी। उन्होंने कहा कि विधायी मंशा कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी तालाबों और पोखरों को "भूमि" की परिभाषा में शामिल करना था, जिसमें "यहाँ तक कि बारहमासी जलमग्न भूमि" को भी शामिल किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को दिनांक 19.2.2004 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसमें विद्वान न्यायाधीश के तर्क और निष्कर्षों की पुष्टि की गई। खंडपीठ ने बिहार राज्य में अधिनियम 5, 2002 द्वारा अधिनियम में किए गए संशोधन पर भी गौर किया, जिसके द्वारा "भूमि भी" शब्दों के स्थान पर "सम भूमि" शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे और यह माना कि बाद के संशोधन से पता चलता है कि विधायी मंशा यह थी कि "भूमि" में पानी के नीचे बारहमासी जलमग्न कोई भी भूमि भी शामिल होनी चाहिए। उक्त आदेश को इस अपील में चुनौती दी गई है, जिससे यह प्रश्न उठता है कि क्या अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक तालाब "भूमि" होगा।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम की प्रस्तावना से पता चलता है कि अधिनियम का उद्देश्य अधिकतम सीमा तय करना, उप-पट्टे पर प्रतिबंध और भूमि की व्यक्तिगत खेती के लिए कुछ रैयतों की बहाली, कुछ कम रैयतों द्वारा रैयत की स्थिति का अधिग्रहण और राज्य द्वारा अधिशेष भूमि का अधिग्रहण और उससे संबंधित मामलों का प्रावधान करना था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि भूमि की परिभाषा से पता चलता है कि इसका मतलब केवल वह भूमि है जो कृषि या बागवानी के लिए उपयोग की जाती है या उपयोग की जा सकती है। उनके अनुसार, "शामिल है" शब्दों का उपयोग करके भूमि की कुछ श्रेणियों को जोड़ने से यह आवश्यकता खत्म नहीं होती या कमजोर नहीं होती कि केवल कृषि या बागवानी उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली या उपयोग की जा सकने वाली भूमि ही 'भूमि' होगी। उन्होंने कहा कि "और इसमें वह भूमि शामिल है जो एक बाग, करहुर या चारागाह या वन भूमि या यहां तक कि पानी के नीचे बारहमासी जलमग्न भूमि या भूमि धारक का वासस्थान है" शब्दों के उपयोग से कुछ श्रेणियों को जोड़ने से केवल इस आवश्यकता पर बल दिया गया है कि भूमि का उपयोग कृषि या बागवानी उद्देश्यों के लिए

किया जाना चाहिए या उपयोग किए जाने में सक्षम है। उन्होंने बताया कि समावेशी परिभाषा में संदर्भित भूमि की प्रत्येक वर्ग भी भूमि है जिसका उपयोग किया जाता है या जो उपयोग की जा सकती है या कृषि या बागवानी के लिए भूमि के उपयोग के लिए प्रासंगिक है; "बाग" से तात्पर्य फलों के पेड़ों की खेती के लिए समर्पित पेड़ों के बगीचे से है; "करहुर" से तात्पर्य छप्पर वाली घास या झाड़ियों का उत्पादन करने वाली भूमि से है; "चारागाह" से तात्पर्य घास या वनस्पति से ढकी हुई भूमि से है, जो पशुओं द्वारा चराई के लिए उपयुक्त है; "भूमि-धारक की वासभूमि" से तात्पर्य आंगन, परिसर, संलग्न उद्यान, फलोद्यान सहित आवास गृह से है, तथा इसमें कृषि या बागवानी से जुड़े उद्देश्य के लिए कोई बाहरी भवन और ऐसे आवास गृह से संबंधित कोई तालाब, पुस्तकालय और पूजा स्थल शामिल हैं; "यहां तक कि पानी के नीचे बारहमासी जलमग्न भूमि" से तात्पर्य पानी से ढकी हुई समतल भूमि से है, जो उथली है (जो भूमि के चरित्र को बनाए रखती है, जो कुछ प्रकार की फसल या वनस्पति वृक्षों/झाड़ियों को उगाने में सक्षम है)। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि "भूमि" की सामान्य परिभाषा में जो शामिल किया गया है, वह है "वह भूमि जो कृषि या बागवानी के लिए उपयोग की जाती है या उपयोग की जा सकती है", वह भूमि की विभिन्न श्रेणियां हैं जो हालांकि सीधे तौर पर कृषि या बागवानी के लिए उपयोग नहीं की जाती हैं, लेकिन कृषि या बागवानी के लिए उपयोग की जा सकती हैं या जो कृषि बागवानी गतिविधियों के लिए आकस्मिक या आवश्यक हैं। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि अधिनियम के प्रयोजन के लिए "तालाब" को भूमि नहीं कहा जा सकता है।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में इस न्यायालय के दो निर्णयों पर अवलंबन किया कि 'भूमि' की परिभाषा और भूमि के अधिकतम क्षेत्रफल के निर्धारण से संबंधित प्रावधान को अधिनियम के उद्देश्य के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिनियम केवल उस भूमि पर लागू होता है जो कृषि या बागवानी के लिए उपयोग में

लाई जाती है या उपयोग में लाई जा सकती है, तथा वह तालाब जो स्पष्ट रूप से कृषि या बागवानी के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इसलिए भूमि नहीं है।

(5.1.) पहला निर्णय *प्राधिकृत अधिकारी, तंजावुर बनाम एस. नागनाथ अय्यर* [1979 (3) एससीसी 466] में लिया गया है, जहां इस न्यायालय ने माना कि भूमि हदबंदी कानूनों का उद्देश्य राज्य द्वारा बड़े भूमि धारकों से अधिशेष भूमि लेकर भूमिहीनों को भूमि का न्यायसंगत वितरण करना है। उन्होंने तर्क दिया कि 'तालाब' भूमिहीनों को वितरित नहीं किया जा सकता है और भूमि हदबंदी कानून के संदर्भ में 'भूमि' केवल उस भूमि को संदर्भित कर सकती है जो कृषि या बागवानी के लिए उपयोग की जा सकती है।

(5.2.) उनके द्वारा लिया गया दूसरा निर्णय *एस. के. अर्सेद अली बनाम एस. के. फजले हकानी* [1996 (11) एससीसी 585] है, जिसमें इस न्यायालय ने इस बात पर विचार करते हुए कि क्या बिक्री विलेख में 'मत्स्यशेहो पुष्करिणी' के रूप में वर्णित क्षेत्र, पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 196 के प्रयोजन के लिए 'भूमि' या 'तालाब' है, इस प्रकार टिप्पणी की थी:

> "वहां अग्रक्रयाधिकारी को बेची गई भूमि को "मत्स्यशेहो पुष्करिणी" के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है मछलियों से भरा टैंक/तालाब। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने *निरंजन दास बनाम लक्ष्मी मणि दासी* (1986 सी.डब्ल्यू.एन. 318) में उस न्यायालय के पहले के फैसले पर अवलंबन करते हुए यह दृष्टिकोण अपनाया है कि 'डोबा' शब्द 'टैंक' के अपभ्रंस के अंतर्गत नहीं आता है जैसा कि विल्सन के शब्दकोष से स्पष्ट है। हमने इसकी एक प्रति अपने सामने रखवाई है और हम पाते हैं कि बंगाली में 'डोबा' शब्द का अर्थ जलमग्न, कम और जलमग्न भूमि है। ऐसी भूमि की गहराई शायद 'डोबा' और 'टैंक' के बीच अंतर पैदा करती है। जाहिर है, उच्च न्यायालय का यह मानना था कि यदि सतही जल उथला है, तो भूमि जलमग्न होने पर भी भूमि का स्वरूप बरकरार रहेगा, क्योंकि न्यायालय

के मन में यह बात थी कि दलदली भूमि में धान की फसल उगाई जा सकती है। इसी प्रकार, यदि गहराई अधिक है, जो भूमि को कृषि उपयोग में लाने से रोकती है, तो यह पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम और विशेष रूप से धारा 2 (7) के प्रयोजनों के लिए 'तालाब' होगा, जो 'भूमि' को कृषि भूमि के रूप में परिभाषित करता है, तालाब इसका अपवाद है। अब यहां भूमि को 'मत्स्यशेहो अ पुष्करिणी' के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका स्पष्ट अर्थ पर्याप्त पानी वाला तालाब होगा, जिसमें मछलियां प्रचुर मात्रा में होंगी और ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरदाता के पक्ष में बिक्री के कार्य में इसका वर्णन किया गया था। इस प्रकार उत्तरदाता के स्वामित्व वाला क्षेत्र पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1995 की धारा 2 (7) के प्रयोजनों के लिए 'भूमि' शब्द के दायरे में नहीं आता है।

6. सबसे पहले, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा इस अधिनियम की वैधता या अधिनियम में 'भूमि' की परिभाषा की वैधता से कोई लेना-देना नहीं है। हमारा सरोकार केवल अधिनियम में परिभाषित 'भूमि' शब्द के वास्तविक अर्थ से है। जब किसी अधिनियम में किसी विशिष्ट शब्द को उसके साधारण और सामान्य अर्थ के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, और फिर उसमें कुछ अतिरिक्त 'अर्थ' शामिल कर दिए जाते हैं, जो विशिष्ट अर्थ के बिना सामान्यतः लागू नहीं होते, तो यह तर्क देना संभव नहीं है कि विस्तारित अर्थ साधारण या सामान्य अर्थ के विपरीत है और इसलिए इसे नज़रअंदाज़ कर दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि किसी शब्द को ए और बी के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें सी, डी, ई और एफ शामिल हैं, तो 'शामिल' शब्द का प्रयोग 'ए' और 'बी' शब्दों के अर्थ को बढ़ाने के लिए किया जाता है; और जब इसका प्रयोग इस प्रकार किया जाता है, तो उन शब्दों को न केवल उनके प्राकृतिक अर्थ (अर्थात 'ए' और 'बी') के अनुसार उनके अर्थ को समझने के रूप में समझा जाना चाहिए, बल्कि उन चीजों को भी समझा जाना चाहिए जिनके बारे में व्याख्या खंड में घोषित किया गया है कि वे इसमें शामिल होंगे (अर्थात सी, डी, ई और

एफ)। (देखें: सामान्यतः न्यायमूर्ति *जी.पी. सिंह के सिद्धांतों के वैधानिक व्याख्या*-11 वें (2008) संस्करण पृष्ठ 174-181 में टिप्पणियां)

7. अधिनियम की धारा 3 में यह प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधान, किसी अन्य कानून, रीति-रिवाज, प्रथा या समझौते में या किसी न्यायालय के किसी आदेश या डिक्री में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। धारा 4 भूमि के अधिकतम क्षेत्रफल के निर्धारण से संबंधित है। यह प्रावधान करती है कि नियत दिन पर, अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक परिवार के लिए भूमि का अधिकतम क्षेत्रफल निम्नलिखित होगा;

(ए) 15 एकड़ भूमि जो प्रवाह सिंचाई कार्य या ट्यूबवेल या लिफ्ट सिंचाई द्वारा सिंचित या सिंचित होने में सक्षम हो, जिसका निर्माण, रखरखाव, सुधार या नियंत्रण सरकार या उसकी एजेंसियों आदि द्वारा किया गया हो, जो एक वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाने में सक्षम हो (वर्ग । भूमि);

(बी) निजी लिफ्ट सिंचाई या निजी ट्यूबवेल द्वारा सिंचित 18 एकड़ भूमि जो एक से अधिक मौसम के लिए पानी उपलब्ध कराती है या उपलब्ध कराने में सक्षम है (वर्ग II भूमि); या

(सी) 25 एकड़ भूमि जो सिंचित है या ऐसे कार्यों द्वारा सिंचित की जा सकती है जो केवल एक मौसम के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं या उपलब्ध कराने में सक्षम हैं (वर्ग III भूमि); या

(डी) खंड (क), (ख), (ग) और (च) में निर्दिष्ट भूमि के अलावा 30 एकड़ भूमि या वह भूमि जो बाग है या किसी अन्य बागवानी उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है (वर्ग IV भूमि); या

(ई) 37.5 एकड़ दियारा भूमि या चौर (वर्ग V भूमि); या

(एफ) 45 एकड़ पहाड़ी, रेतीली, वन भूमि, यहां तक कि बारहमासी जलमग्न भूमि या अन्य प्रकार की भूमि, जिसमें से किसी पर भी धान, रबी या नकदी फसल नहीं होती (वर्ग VI भूमि)।

8. सबसे पहले हमें कुछ अस्पष्टताओं को स्पष्ट कर देना चाहिए। सबसे पहले, बिहार में अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिसके तहत वर्ष 2002 में "यहां तक कि भूमि" शब्दों को "भूमि भी" शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त संशोधन को झारखंड राज्य पर लागू या विस्तारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस राज्य ने ऐसा संशोधन नहीं किया है। दूसरे, उक्त संशोधन को संशोधन-पूर्व स्थिति का मात्र स्पष्टीकरण या पुनः कथन मानना संभव नहीं है। अधिनियम में यह दर्शाने के लिए पर्याप्त संकेत हैं कि 'यहां तक कि' शब्द का प्रयोग 'भी' के अर्थ में नहीं किया गया था। अधिनियम के हिंदी संस्करण में अंग्रेजी शब्द "सम भूमि जो सदैव जल में डूबी रहती है" के स्थान पर "बारहों माहिने जलमग्न समतल भूमि" शब्द का प्रयोग किया गया है। 'सम' के स्थान पर 'समतल' शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि 'सम' शब्द का अर्थ "भी" नहीं, बल्कि "समतल सतह" है। इसके अलावा, धारा 4(एफ) में "सम भूमि जो सदैव जल में डूबी रहती है" को पहाड़ी, रेतीली, वन भूमि के साथ वर्ग VI भूमि के रूप में मानी जाने वाली भूमि की श्रेणियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसलिए, "सम भूमि जो सदैव जल में डूबी रहती है" शब्द का तात्पर्य "सम भूमि जो सदैव जल में डूबी रहती है" से है, जो कि जल से ढकी नदी तलहटी या जल से भरी घाटियों से भिन्न है।

9. दूसरा, अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते समय अधिनियम के उद्देश्य की भूमिका है। यह सही है कि अधिनियम का एक उद्देश्य बड़े भू-धारकों से अधिशेष भूमि लेना और ऐसी अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में वितरित करना है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि केवल वही भूमि 'भूमि' मानी जा सकती है जो कृषि/बागवानी प्रयोजनों के लिए भूमिहीनों में वितरित की जा सकती है, अन्य भूमि नहीं। न्यायालयों को, किसी भी अधिनियम के

प्रावधानों की व्याख्या करते समय, निस्संदेह, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए एक वस्तु-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि जब तक व्याख्यात्मक संभावना अनुमति देती है, विधायी निरर्थकता से बचा जाना चाहिए। लेकिन साथ ही, न्यायालयों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि वस्तु-उन्मुख दृष्टिकोण, कानून में प्रयुक्त स्पष्ट भाषा के साथ हिंसा करने की सीमा तक नहीं ले जाया जा सकता है, वास्तविक प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर कानून के शब्दों को पुनः लिखकर, या कानून में प्रयुक्त निश्चित शब्दों की अनदेखी करके। (*आयकर आयुक्त बनाम बुधराजा एंड कंपनी* - 1994 अनुपूरक (1) एससीसी 208 और न्यायमूर्ति *जी.पी. सिंह* के वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत-11वां संस्करण, पृष्ठ 116-117 में इस न्यायालय की टिप्पणियों को देखें)। इसलिए *एस. नागनाथ अय्यर* (उपरोक्त) के मामले में जिस निर्णय पर अपीलकर्ता ने अवलंबन किया है, उससे कोई मदद नहीं मिलेगी।

10. तीसरा, 'टैंक' शब्द के सामान्य अर्थ पर जोर दिया गया है और परिणामी तर्क यह है कि कोई भी 'टैंक' को 'भूमि' नहीं मानेगा। तर्क यह है कि समुद्र को भूमि नहीं माना जाता है, नदी भूमि नहीं है और इसलिए टैंक भी भूमि नहीं हो सकता है। यह बताया गया है कि यदि 'टैंक' को भूमि कहने के लिए निर्धारण कारक भूमि या पानी के नीचे समतल सतह का अस्तित्व है, तो समुद्र और नदियों को भी भूमि के रूप में माना जाएगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि जब भूमि बारहमासी पानी से ढकी रहती है, तो ऐसी भूमि 'भूमि' नहीं रह जाती है जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है, और जल निकाय बन जाती है जो जल निकाय के आकार, स्थिति और प्रकृति के आधार पर महासागर, समुद्र, नदी, झील, टैंक या तालाब हो सकती है। अर्सेद अली (उपरोक्त) के निर्णय पर अवलंबन किया जा सकता है, जहाँ यह माना गया था कि मछलियों से भरा तालाब भूमि नहीं है। लेकिन सामान्य अर्थ और धारणाएँ, या विभिन्न परिभाषाओं वाले क़ानूनों के संदर्भ में दिए गए निर्णय, उस शब्द की व्याख्या करने में कोई मदद नहीं करेंगे जो अधिनियम में ही स्पष्ट, विशिष्ट और विस्तृत रूप से परिभाषित है। हमें अधिनियम में दी गई परिभाषा के संदर्भ में शब्द का अर्थ समझना

होगा। हालाँकि अधिनियम का उद्देश्य व्याख्या में प्रयुक्त संकेतकों में से एक हो सकता है, लेकिन प्रयुक्त स्पष्ट और विशिष्ट शब्दों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। वास्तव में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय दिया है कि अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केवल *कृषि प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त तालाब ही* 'भूमि' माने जाएँगे, सामान्यतः सभी तालाब नहीं। आइए अब अधिनियम के प्रावधानों का परीक्षण करके यह पता लगाएँ कि क्या कृषि प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त 'तालाब' भूमि है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कहा है।

11. इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'भूमि' शब्द में सामान्य अर्थ में टैंक शामिल नहीं होता, लेकिन इसकी परिभाषा में विशेष रूप से "यहां तक कि पानी के नीचे बारहमासी डूबी हुई भूमि" भी शामिल होती। 'टैंक' शब्द को *पी. रामनाथ अय्यर के एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन* (तृतीय संस्करण, खंड 4, पृष्ठ 4608) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

> ""टैंक" - एक तालाब या पोखर, या झील; एक टैंक अक्सर कई एकड़ में फैला होता है; एक सिंचाई जलाशय, एक बांध बनाया गया खड्ड या पानी इकट्ठा करने के लिए अन्य उपयुक्त स्थान .....
>
> निम्नलिखित तीनों को एक साथ मिलाकर, अर्थात् (i) भूमिगत या उसके नीचे की भूमि, जिस पर पानी संग्रहीत किया जाता है (ii) तटबंध या बंध जो पानी को अपनी सीमा के भीतर सीमित रखने के उद्देश्य से कार्य करता है और (iii) टैंक का तल या धरातल, टैंक के रूप में जाना जाता है।

12. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, "भूमि" की परिभाषा में भू-धारक की वासभूमि भी शामिल है। धारा 2 (च) का स्पष्टीकरण (I) "वासभूमि" की परिभाषा में आवास गृह से संलग्न किसी भी तालाब को शामिल करता है। यदि आवास गृह से संलग्न कोई तालाब भूमि है, तो इसका अर्थ यह है कि कृषि/बागवानी भूमि से संलग्न कोई भी तालाब, जिसका उपयोग ऐसी कृषि/बागवानी भूमि की सिंचाई या जल-संभरण के लिए किया जाता

है, भी भूमि होगा। जब धारा 2 (च) में 'भूमि' शब्द की परिभाषा के स्पष्टीकरण-I में तालाब को विशेष रूप से भूमि कहा गया है, तो यह तर्क स्वीकार करना संभव नहीं है कि कोई भी तालाब भूमि नहीं हो सकता।

13. 'भूमि' की परिभाषा के स्पष्टीकरण (II) में कहा गया है कि "सदाबहार जलमग्न भूमि" में "नदी तल में डूबी हुई भूमि" शामिल नहीं होगी। इसका स्पष्ट अर्थ है कि बिहार/झारखंड राज्य में, नदी तल को छोड़कर, सदाबहार जलमग्न रहने वाली सभी भूमि भूमि है। स्पष्ट विधायी आशय यह है कि न केवल कृषि या बागवानी के लिए वास्तव में उपयोग की जाने वाली भूमि, बल्कि कोई भी या प्रत्येक भूमि जो कृषि या बागवानी के लिए प्रासंगिक या अनुलग्नक के रूप में उपयोग की जाती है, भी भूमि है। यह 'वासभूमि' की परिभाषा से स्पष्ट है। कोई भी आवासीय भवन जो कृषि या बागवानी भूमि पर स्थित है और जिसका उद्देश्य व्यक्तियों का निवास है, वासभूमि है और भूमि की परिभाषा में शामिल है। इसके अतिरिक्त, कृषि या बागवानी से संबंधित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला कोई भी बाहरी भवन भी वासभूमि का हिस्सा है और इसलिए, भूमि है। निजी जोतों में स्थित कोई भी कृत्रिम या प्राकृतिक जल निकाय, जो कृषि या बागवानी उद्देश्यों के लिए सिंचाई या जल आपूर्ति करता है, भी भूमि है। जलमग्न भूमि के संदर्भ में 'सम भूमि' शब्द दर्शाता है कि इसमें नदी तल या जल से भरी खाइयाँ शामिल नहीं हैं। 'भूमि' की परिभाषा में 'सदाबहार जलमग्न भूमि' शब्दों का प्रयोग इस प्रकार यह दर्शाता है कि तालाब भी भूमि है। भूमि की परिभाषा से नदी तल या तालाब को बाहर रखा गया है जो एक बाँधयुक्त खड्ड है। अधिनियम की धारा 4 (च), जो वर्ग VI की भूमि के संबंध में अधिकतम क्षेत्रफल निर्धारित करती है, यह भी दोहराती है कि जलमग्न भूमि भी भूमि है।

14. 'भूमि' की परिभाषा में प्रयुक्त स्पष्ट और विशिष्ट शब्दों को ध्यान में रखते हुए, बारहमासी जल से आच्छादित भूमि, जिसमें तालाब भी शामिल हैं, को भूमि की परिभाषा से बाहर करना संभव नहीं है। अतः हम इस बात से सहमत हैं कि कृषि/बागवानी प्रयोजनों के

लिए जल उपलब्ध कराने हेतु बने तालाब अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 'भूमि' हैं। अतः हमें विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेशों में कोई त्रुटि नहीं दिखती, जिनकी खंडपीठ ने पुष्टि की है, और परिणामस्वरूप, अपील खारिज की जाती है।

एन.जे. अपील खारिज।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।